

ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिये सहायता अनुदान

प्रलिस के लिये :

15वाँ वित्त आयोग, ग्रामीण स्थानीय निकाय, अनुदान, 73वाँ संवधान संशोधन

मेन्स के लिये :

ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिये आवंटित सहायता अनुदान का महत्त्व

चर्चा में क्यों?

हाल ही में वित्त मंत्रालय ने **ग्रामीण स्थानीय निकायों (Rural Local Bodies-RLBs)** को सहायता अनुदान प्रदान करने हेतु 25 राज्यों को 13,385.70 करोड़ रुपए की राशि जारी की है।

- यह सहायता अनुदान वर्ष 2021-22 के **बद्ध अनुदान (Tied Grants)** की पहली कसित है।
- 15वें वित्त आयोग** की अनुशंसा के आधार पर यह अनुदान जारी किया गया है।

प्रमुख बडि

- वित्त आयोग (FC) के अनुदान :**
 - संघीय बजट** स्थानीय निकायों को धन, राज्य आपदा राहत कोष प्रदान करता है और FC की सफिरशि पर करों के हस्तांतरण के बाद राज्यों के कसी भी राजस्व हानि की भरपाई करता है।
 - 73वें संवधान संशोधन**, 1992 में केंद्र और राज्यों दोनों को पंचायती राज संस्थाओं को नधि, कार्य और पदाधिकारियों को सौंपकर **स्वशासन की एक इकाई** के रूप में वकिसति करने में मदद करने की आवश्यकता है।
 - 15वें वित्त आयोग ने 2021-22 से 2025-26 की अवधि के दौरान पंचायतों को 'जल आपूर्ति और स्वच्छता' के लिये **लाख 42 हज़ार करोड़ रुपए से अधिक** की राशि आवंटित करने की सफिरशि की है।
- बद्ध बनाम खुला अनुदान :**
 - पंचायती राज (Panchayati Raj) संस्थाओं के लिये आवंटित कूल सहायता अनुदान (grants) में **से60 प्रतिशत 'बंधन या बद्ध अनुदान'** है। **केंद्र परायोजति योजनाओं** के तहत खुले में **शौच मुक्त (ODF) स्थिति की स्वच्छता और रखरखाव में सुधार**, पेयजल की आपूर्ति, वर्षा जल संचयन और **जल पुनर्चक्रण** के लिये केंद्र द्वारा आवंटित धन के अलावा ग्रामीण स्थानीय निकायों को अतिरिक्त धन की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु बद्ध अनुदान प्रदान किया जाता है।
 - शेष 40 प्रतिशत 'अनटाइड या खुला ग्रांट'** है और वेतन के भुगतान को छोड़कर, स्थान-वशिष्ट ज़रूरतों के लिये पंचायती राज संस्थानों के स्वविक पर इसका उपयोग किया जाता है।
- संसाधनों का आवंटन : राज्यों को केंद्र सरकार से अनुदान प्राप्त होने के 10 कार्य दिवसों के भीतर ग्रामीण स्थानीय निकायों को अनुदान हस्तांतरित करना आवश्यक है।**
 - 10 कार्य दिवसों से अधिक समय लगने पर **राज्य सरकारों को ब्याज सहित अनुदान जारी करने की आवश्यकता** होती है।

वित्त आयोग (Finance Commission)

- वित्त आयोग (FC)** एक संवधानिक निकाय है, जो केंद्र और राज्यों के बीच तथा राज्यों के मध्य संवधानिक व्यवस्था एवं वर्तमान आवश्यकताओं के अनुरूप कर से प्राप्त आय के वितरण के लिये वधि तथा सूत्र निर्धारित करता है।
- संवधान के अनुच्छेद 280 के तहत भारत के राष्ट्रपति को प्रत्येक पाँच वर्ष या उससे पहले एक वित्त आयोग का गठन करना आवश्यक है।
- 15वें वित्त आयोग का गठन भारत के राष्ट्रपति द्वारा नवंबर 2017 में एन.के. सहि की अध्यक्षता में किया गया था।
 - इसकी सफिरशि वर्ष 2021-22 से वर्ष 2025-26 तक पाँच वर्ष की अवधि के लिये मान्य होगी।

FC अनुदान का वभाजन:

- **ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिये अनुदान:** संविधान में परकिलपति शासन का त्रस्तरीय मॉडल ग्राम पंचायतों को स्पष्ट भूमिकाएँ और जम्मेदारियाँ प्रदान करता है।
 - FC की सफारिशें यह सुनिश्चित करती हैं कि स्थानीय निकायों को पर्याप्त रूप से वित्तपोषित किया गया है।
 - वास्तव में केंद्रीय बजट में FC अनुदान का लगभग आधा ग्राम स्थानीय निकायों को जाता है।
- **शहरी स्थानीय निकायों के लिये अनुदान:** ग्राम स्तर पर स्वशासन की इकाइयों के अलावा संविधान में शहरों को स्वशासन की इकाइयों के रूप में भी परकिलपति किया गया है।
 - शहरी स्थानीय निकायों जैसे- नगर परिषदों को ग्रामीण स्थानीय निकायों और राज्यों को हस्तांतरण के बाद FC अनुदान का सबसे बड़ा हिस्सा प्राप्त होता है।
- **राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (SDRF) को सहायता:** केंद्र सरकार **राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA)** के वित्तपोषण के अलावा राज्य आपदा राहत कोष में भी धन मुहैया कराती है।
 - FC की सफारिशों के अनुसार राज्य सरकार के आपदा राहत अधिकारियों को सहायता प्रदान की जाती है।
- **हस्तांतरण के बाद राजस्व घाटा अनुदान:** केंद्र द्वारा एकत्र किये गए कुल राजस्व का लगभग एक-तहाई हिस्सा वभाज्य पूल में उनके हिस्से के रूप में सीधे राज्यों को हस्तांतरित किया जाता है।
 - हालाँकि FC राज्यों द्वारा किये गए किसी भी नुकसान के मुआवजे के लिये एक तंत्र भी प्रदान करता है, जिसे **प्रोसेस-डिवोल्यूशन राजस्व घाटा अनुदान** कहा जाता है।
 - यह अनुदान स्थानीय ग्रामीण निकायों को सहायता के बाद FC हस्तांतरण का दूसरा सबसे बड़ा हिस्सा है।
- FC अनुदान के तहत चार मुख्य हस्तांतरणों के अलावा केंद्र अपने स्वयं के संसाधनों से राज्यों और कमज़ोर समूहों को काफी राशि हस्तांतरित करता है।
 - उत्तर-पूर्वी क्षेत्र और सिकिम के लिये संसाधनों का केंद्रीय पूल
 - बाहरी सहायता प्राप्त परियोजना अनुदान
 - बाहरी सहायता प्राप्त परियोजना ऋण
 - उत्तर-पूर्व परिषद के लिये योजनाएँ
 - संविधान के अनुच्छेद 275(1) के तहत योजनाएँ
 - अनुसूचित जातियों को विशेष केंद्रीय सहायता तथा जनजातीय क्षेत्रों को विशेष केंद्रीय सहायता।

स्रोत: पी.आई.बी

PDF Reference URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/grant-in-aid-for-rural-local-bodies-1>

